भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्याः 3168
गुरुवार, 7 अगस्त, 2025/16 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

पीड़ितों को मुआवजा

3168. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 2010 में मंगलुरु और 2020 में कोझिकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस दुर्घटनाओं के पीड़ितों को प्रदान किए गए मुआवजे की स्थिति क्या है, साथ ही मुआवजे हेतु प्राप्त, अस्वीकृत और लंबित दावों की कुल संख्या क्या है और प्रत्येक मामले में अलग-अलग कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) क्या मुआवजे का निर्धारण मॉन्ट्रियल कन्वेंशन प्रोटोकॉल या किसी अन्य वैधानिक मानदंडों के अनुसार किया गया था और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विचलन के कारण क्या हैं और सभी पीड़ित परिवारों को एकसमान और न्यायसंगत मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): एअर इंडिया एक्सप्रेस ने सूचित किया है कि मंगलुरु (2010) और कोझीकोड (2020) दोनों दुर्घटनाओं में, मृतकों के परिवारों और घायल यात्रियों को मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मुआवजा दिया गया था। भुगतान किया गया मुआवजा दावाकर्ताओं द्वारा पूर्ण एवं अंतिम भुगतान के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। तथापि, कुछ दावाकर्ताओं ने बढ़ी हुई मुआवजा राशि के लिए माननीय न्यायालय को अपील की है, जो वर्तमान में न्यायाधीन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

******